प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक– 479/नि0शा0/2021–22 दिनांक–22-03-2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0 एस0वाई0) (के36/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 1010.67 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 13/2022/125/सत्रह–म–2022–17– 1002 (099)/3/2021 दिनांक 21.03.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0 एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/म0लाभार्थी–40 के0+रा0) के अर्न्तगत अनुदान सं0–17 में महिला वर्ग हेतु **निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 1010.67 लाख** (रू0 दस करोड़ दस लाख सरसठ हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (...10....) पर अंकित है।

भवदीया,

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक– 479/नि0शा0/2021–22 दिनांक–22-03-,2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0 एस0वाई0) (के36/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत महिलाओं हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 1010.67 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 13/2022/125/सत्रह–म–2022–17– 1002 (099)/3/2021 दिनांक 21.03.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0 एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/म0लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–17 में महिला वर्ग हेतु **निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 1010.67 लाख** (रू0 दस करोड़ दस लाख सरसठ हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/ पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (...10....) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 479 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-NEW PONDS FIRST YEAR NIVESH FEMALE 22-3-22
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	283000 7717560	283000 7717560
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	166000 16525000	166000 16525000
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	84000 2885040	84000 2885040
4	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	75000 1015000	75000 1015000
5	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	164000 7362600	164000 7362600
6	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	66000 1835010	66000 1835010
7	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	899000 18823660	899000 18823660
8	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	228000 11185930	228000 11185930
9	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	417000 12567020	417000 12567020
10	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	166000 12865000	166000 12865000
11	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	49000 371640	49000 371640
12	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	34000 2051000	34000 2051000
13	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	332000 4019900	332000 4019900
14	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	149000 4303800	149000 4303800
15	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 1976200	150000 1976200
16	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	147000 1260400	147000 1260400
17	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	233000 5327000	233000 5327000
18	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	512000 6505780	512000 6505780
19	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000 1514040	200000 1514040

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
20	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	224000 5205000	224000 5205000
21	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	191000 1444000	191000 1444000
22	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	302000 9604800	302000 9604800
23	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	452000 5212960	452000 5212960
24	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	125000 5622000	125000 5622000
25	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	258000 11426000	258000 11426000
26	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	21000 5308000	21000 5308000
27	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	322000 2850660	322000 2850660
28	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	166000 28855000	166000 28855000
29	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	515000 21112000	515000 21112000
30	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1224000 37927860	1224000 37927860
31	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	237000 3589000	237000 3589000
32	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	133000 6104000	133000 6104000
33	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	66000 502000	66000 502000
34	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	327000 16271540	327000 16271540
35	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	166000 14479000	166000 14479000
36	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	428000 12233420	428000 12233420
37	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	670000 10219200	670000 10219200
38	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	213000 5087300	213000 5087300
39	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1327000 10308660	1327000 10308660
40	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	42000 3134000	42000 3134000
41	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	831000 13393000	831000 13393000
42	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	108000 992480	108000 992480
43	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	999000 54649760	999000 54649760
44	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	349000 15776000	349000 15776000
45	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	673000 15884000	673000 15884000
46	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	565000 5678000	565000 5678000
47	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	125000 5862000	125000 5862000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
48	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	930000 42553000	930000 42553000
49	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	27000 202240	27000 202240
50	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	162000 9832000	162000 9832000
51	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	937000 22080600	937000 22080600
52	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 7742220	24000 7742220
53	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	910000 41138780	910000 41138780
54	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000 4525260	250000 4525260
55	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	107000 9792000	107000 9792000
56	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	689000 17178160	689000 17178160
57	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	83000 2428000	83000 2428000
58	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	215000 4262700	215000 4262700
59	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	34000 924720	34000 924720
60	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	166000 2095000	166000 2095000
	योग	वर्तमान प्रगामी	19947000 613597900	19947000 613597900

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ निन्यानवे लाख सैंतालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकसठ करोड़ पैंतीस लाख सत्तानवे हजार नौ सौ

(पूजा सक्सेना)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE RAS BIOFALAK FEMALE 20-21 22-3-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 19543660	720000 19543660
2	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1200000 13767020	1200000 13767020
3	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1200000 12626000	1200000 12626000
4	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	3600000 32455000	3600000 32455000
5	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2400000 23512000	2400000 23512000
6	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2400000 18671540	2400000 18671540
7	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	2400000 16879000	2400000 16879000
8	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	3600000 15833420	3600000 15833420
9	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 6287300	1200000 6287300
10	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	12000000 66649760	12000000 66649760
11	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	1200000 16976000	1200000 16976000
12	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 21884000	6000000 21884000
13	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3600000 25680600	3600000 25680600
14	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 42338780	1200000 42338780
15	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 7980000	1200000 7980000
16	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400000 12192000	2400000 12192000
17	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 18378160	1200000 18378160
	योग	वर्तमान प्रगामी	47520000 371654240	47520000 371654240

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ पचहत्तर लाख बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सैंतीस करोड़ सोलह लाख चौवन हजार दो सौ चालीस

(प्रज्ञा सुमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM RAS FEMALE 20-21 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 17125000	600000 17125000
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	600000 3485040	600000 3485040
3	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 14367020	600000 14367020
4	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 33055000	600000 33055000
5	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 43753000	1200000 43753000
6	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 43538780	1200000 43538780
	योग	वर्तमान प्रगामी	4800000 155323840	4800000 155323840

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अड़तालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ तिरेपन लाख तेइस हजार आठ सौ चालीस

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-SMALL FEED MIL FEMALE 20-21 22-03-2022
अनुदान संख्या:-	17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 8437560	720000 8437560
2	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 20263660	720000 20263660
3	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	5040000 48793000	5040000 48793000
4	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 44258780	720000 44258780
	योग	वर्तमान प्रगामी	7200000 121753000	7200000 121753000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह करोड़ सत्रह लाख तिरेपन हजार

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM FEED MIL FEMALE 20-21 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400000 15265000	2400000 15265000
2	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	2400000 40327860	2400000 40327860
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	2400000 19279000	2400000 19279000
4	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	2400000 69049760	2400000 69049760
5	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400000 20778160	2400000 20778160
	योग	वर्तमान प्रगामी	12000000 164699780	12000000 164699780

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ छियालीस लाख निन्यानवे हजार सात सौ अस्सी

(पूजा सक्सेना)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE FEED MIL FEMALE 20-21 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	4800000 73849760	4800000 73849760
2	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	4800000 21776000	4800000 21776000
	योग	वर्तमान प्रगामी	9600000 95625760	9600000 95625760

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियानवे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ छप्पन लाख पच्चीस हजार सात सौ साठ

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020–21

(धनराशि रू0 लाख में)

क0	जनपद	नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश @ Rs. 4.0 lacs/hectare						
		महिला लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021–22)						
		क्षेत्रफल हे0	धनराशि	कुल अनुदान	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
						केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	10.823	43.292	25.9752	22.480	13.490	8.990	8.990
2	फिरोजाबाद	1.950	7.800	4.6800	4.050	2.430	1.620	1.620
3	अलीगढ	0.800	3.200	1.9200	1.660	1.000	0.660	0.660
4	हाथरस	1.290	5.160	3.0960	2.680	1.610	1.070	1.070
5	एटा	2.750	11.000	6.6000	5.710	3.430	2.280	2.280
6	आजमगढ	1.600	6.400	3.8400	3.320	1.990	1.330	1.330
7	मऊ	11.202	44.808	26.8848	23.260	13.960	9.300	9.300
8	बलिया	0.800	3.200	1.9200	1.660	1.000	0.660	0.660
9	प्रयागराज	2.700	10.800	6.4800	5.610	3.370	2.240	2.240
10	कौशम्बी	1.000	4.000	2.4000	2.080	1.250	0.830	0.830
11	फतेहपुर	2.412	9.648	5.7888	5.010	3.010	2.000	2.000
12	प्रतापगढ	2.300	9.200	5.5200	4.780	2.870	1.910	1.910
13	कानपुर नगर	2.800	11.200	6.7200	5.810	3.480	2.330	2.330
14	कानपुरदेहात	6.159	24.636	14.7816	12.790	7.670	5.120	5.120
15	औरैया	1.770	7.080	4.2480	3.680	2.210	1.470	1.470
16	फर्रूखाबाद	1.000	4.000	2.4000	2.080	1.250	0.830	0.830
17	कन्नौज	0.810	3.240	1.9440	1.680	1.010	0.670	0.670
18	गोरखपुर	6.200	24.800	14.8800	12.880	7.730	5.150	5.150
19	महाराजगंज	11.280	45.120	27.0720	23.430	14.060	9.370	9.370
20	देवरिया	14.733	58.932	35.3592	30.600	18.360	12.240	12.240
21	कुशीनगर	10.959	43.836	26.3016	22.760	13.660	9.100	9.100
22	बांदा	1.500	6.000	3.6000	3.120	1.870	1.250	1.250
23	चित्रकूट	2.000	8.000	4.8000	4.150	2.490	1.660	1.660
24	हमीरपुर	5.438	21.752	13.0512	11.290	6.770	4.520	4.520
25	झॉसी	3.640	14.560	8.7360	7.560	4.540	3.020	3.020
26	ललितपुर	6.800	27.200	16.3200	14.120	8.470	5.650	5.650
27	गोण्डा	10.000	40.000	24.0000	20.770	12.460	8.310	8.310
28	बलरामपुर	8.298	33.192	19.9152	17.230	10.340	6.890	6.890
29	बहराइच	8.100	32.400	19.4400	16.820	10.090	6.730	6.730
30	श्रावस्ती	2.585	10.340	6.2040	5.370	3.220	2.150	2.150
31	अयोध्या	0.500	2.000	1.2000	1.040	0.620	0.420	0.420
32	सुल्तानपुर	1.294	5.176	3.1056	2.690	1.610	1.080	1.080

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020–21

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश @ Rs. 4.0 lacs/hectare — महिला लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021–22)						
		क्षेत्रफल हे0	धनराशि	कुल अनुदान	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि में से — केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	अमेठी	4.200	16.800	10.0800	8.720	5.230	3.490	3.490
34	बाराबंकी	12.028	48.112	28.8672	24.980	14.990	9.990	9.990
35	बरेली	5.023	20.092	12.0552	10.430	6.260	4.170	4.170
36	शाहजहाँपुर	0.400	1.600	0.9600	0.830	0.490	0.340	0.340
37	पीलीभीत	4.000	16.000	9.6000	8.300	4.980	3.320	3.320
38	बस्ती	2.850	11.400	6.8400	5.920	3.550	2.370	2.370
39	सिद्वार्थ नगर	0.322	1.288	0.7728	0.670	0.400	0.270	0.270
40	मेरठ	2.000	8.000	4.8000	4.150	2.490	1.660	1.660
41	हापुड़	0.900	3.600	2.1600	1.870	1.120	0.750	0.750
42	बागपत	1.012	4.048	2.4288	2.100	1.260	0.840	0.840
43	गाजियाबाद	1.500	6.000	3.6000	3.120	1.870	1.250	1.250
44	बुलन्दशहर	1.980	7.920	4.7520	4.110	2.470	1.640	1.640
45	मुरादाबाद	0.592	2.368	1.4208	1.230	0.740	0.490	0.490
46	अमरोहा	0.416	1.664	0.9984	0.860	0.520	0.340	0.340
47	रामपुर	1.790	7.160	4.2960	3.720	2.230	1.490	1.490
48	बिजनौर	2.000	8.000	4.8000	4.150	2.490	1.660	1.660
49	लखनऊ	3.937	15.748	9.4488	8.180	4.910	3.270	3.270
50	उन्नाव	2.000	8.000	4.8000	4.150	2.490	1.660	1.660
51	रायबरेली	5.151	20.604	12.3624	10.700	6.420	4.280	4.280
52	सीतापुर	8.060	32.240	19.3440	16.740	10.040	6.700	6.700
53	हरदोई	2.565	10.260	6.1560	5.330	3.200	2.130	2.130
54	लखीमपुरखीरी	15.973	63.892	38.3352	33.170	19.900	13.270	13.270
55	वाराणसी	3.100	12.400	7.4400	6.440	3.860	2.580	2.580
56	चन्दौली	3.003	12.012	7.2072	6.240	3.740	2.500	2.500
57	गाजीपुर	0.250	1.000	0.6000	0.520	0.310	0.210	0.210
58	जौनपुर	3.873	15.492	9.2952	8.040	4.820	3.220	3.220
59	मिर्जापुर	2.000	8.000	4.8000	4.150	2.490	1.660	1.660
60	भदोही	0.291	1.164	0.6984	0.600	0.360	0.240	0.240
61	मुजफ्फरनगर	2.350	9.400	5.6400	4.880	2.920	1.960	1.960
62	शामली	1.068	4.272	2.5632	2.200	1.330	0.870	0.870
	प्रदेश योग	**240.127**	**960.508**	**576.3048**	**498.670**	**299.200**	**199.470**	**199.470**

(रूपये एक करोड़ निन्यानवे लाख सैंतालिस हजार मात्र)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21

वृहद आर0ए0एस0/वृहद वायोफलाक / **Rs. 50.0 lacs/unit**

महिला लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि/टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से केन्द्राश	कुल अनुदान में से राज्यांश	कुल अवमुक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रू लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	1	50.00	30.00	10.80	7.20	7.20
2	हाथरस	2	100.00	60.00	36.00	24.00	24.00
3	गोरखपुर	2	100.00	60.00	36.00	24.00	24.00
4	महाराजगंज	3	150.00	90.00	54.00	36.00	36.00
5	कुशीनगर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
6	बलरामपुर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
7	बहराइच	5	250.00	150.00	90.00	60.00	60.00
8	अम्बेडकर नगर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
9	अमेठी	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
10	बाराबंकी	10	500.00	300.00	180.00	120.00	120.00
11	बरेली	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
12	लखनऊ	2	100.00	60.00	36.00	24.00	24.00
13	उन्नाव	2	100.00	60.00	36.00	24.00	24.00
14	रायबरेली	3	150.00	90.00	54.00	36.00	36.00
15	हरदोई	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
16	वाराणसी	1	50.00	30.000	18.000	12.000	12.00
17	मिर्जापुर	3	150.00	90.000	54.000	36.000	36.00
	प्रदेश योग	40	2000.00	1200.00	712.80	475.20	475.20

(रू0 चार करोड़ पचहत्तर लाख बीस हजार मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21							
मध्याकार आर0ए0एस0/मध्याकार वायोफलाक / **Rs. 25 .0 lacs/unit**							
क्रमांक	जनपद	महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि/टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मऊ	2	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
2	कुशीनगर	2	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
3	बरेली	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
4	मेरठ	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
5	बागपत	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
6	मिर्जापुर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
	प्रदेश योग	**8**	**200.00**	**120.00**	**72.00**	**48.00**	**48.00**

(रू0 अड़तालिस लाख मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21

लघु फीड मिल / **Rs. 30.0 lacs/unit**

महिला लाभार्थी

कमांक	जनपद	संख्या	धनराशि/टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	1	30.00	18.00	10.80	7.20	7.20
2	मऊ	7	210.00	126.00	75.60	50.40	50.40
3	कुशीनगर	1	30.00	18.00	10.80	7.20	7.20
4	शामली	1	30.00	18.00	10.80	7.20	7.20
	प्रदेश योग	**10**	**300.00**	**180.00**	**108.00**	**72.00**	**72.00**

(रू0 बहत्तर लाख मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21							
कमांक	जनपद	मध्याकार फीड मिल / **Rs. 100.00 lacs/unit**					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देवरिया	1	100.00	60.00	36.00	24.00	24.00
2	बलरामपुर	1	100.00	60.00	36.00	24.00	24.00
3	बाराबंकी	1	100.00	60.00	36.00	24.00	24.00
4	बिजनौर	1	100.00	60.00	36.00	24.00	24.00
5	उन्नाव	1	100.00	60.00	36.00	24.00	24.00
	प्रदेश योग	**5**	**500.00**	**300.00**	**180.00**	**120.00**	**120.00**

(रू0 एक करोड़ बीस लाख मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21							
		वृहद फीड मिल / **Rs. 200.00 lacs/unit**					
		महिला लाभार्थी					
कमांक	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमेठी	1	200.00	120.00	72.00	48.00	48.00
2	बाराबंकी	1	200.00	120.00	72.00	48.00	48.00
	प्रदेश.योग	2	**400.00**	**240.00**	**144.00**	**96.00**	**96.00**

(रू0 छियान्नबे लाख मात्र)

21/03/22

संख्या: /3/2022/ 125/ सत्रह-म-2022-17-1002(099)/3/ 2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0 एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 1516.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 1010.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49 /नि0शा0/ 2021-22 /16-19(6) दिनांक 14 फरवरी, 2022 एवं पत्र संख्या- 82/नि0शा0/ 2021-22/ 16-19(6) दिनांक 10 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वितीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष + महिला) वर्ग हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2698.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-17 में महिला वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 7759.75 लाख में से अवशेष धनराशि की सीमान्तर्गत निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 1010.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य (पुरूष+ महिला) वर्ग हेतु भारत सरकार द्वारा पत्रांक- W-11011/8/2020-Fy दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्रांश धनराशि रू0 2698.00 लाख अवमुक्त की गयी है। आय-व्ययक 2021-22 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत प्रश्नगत योजना में महिला वर्ग हेतु रू0 7759.75 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। द्वितीय किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 30.12.2021 द्वारा अवमुक्त उक्त कुल केन्द्रांश धनराशि रू0 2698.00 लाख में से प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार महिला वर्ग हेतु रू0 1516.00 लाख (कुल का 56.18 प्रतिशत) केन्द्रांश की सीमा तक मैचिंग राज्यांश को सम्मिलित करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित बजट धनराशि में से उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत पूर्व में मात्र निर्गत केन्द्रांश धनराशि रू0 1516.00 के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 1010.67 लाख (रू0 दस करोड दस लाख सरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 06 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>तालिका</u>

(इकाई रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम / वित्त पोषण व फन्डिग पैटर्न (के036+रा024+महिला लाभार्थी -40, के0 + रा0)	इकाई (हे0/ सं0)	ईकाई लागत	कुल परियोजना लागत	वित्तीय वर्ष 2020--21 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनावार प्रस्ताव			वित्तीय वर्ष 2020 -21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	मैचिंग राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मीठे जल में मत्स्य पालन हेतु निवेश	240.376	4.00	961.50	346.14	230.76	384.60	199.47	199.47
2	वृहद, आर0ए0एस0/ बायो फ्लाक का निर्माण	97	50.00	4850.00	1746.00	1164.00	1940.00	475.20	475.20
3	मध्यमाकार आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	30	25.00	750.00	270.00	180.00	300.00	48.00	48.00
4	लघु मिलों की स्थपना (उत्पादन क्षमता 2 टन / दिन)	46	30.00	1380.00	496.80	331.20	552.00	72.00	72.00
5	मध्यामाकार मिलों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 8 टन / दिन)	9	100.0	900.00	324.00	216.00	360.00	120.00	120.00
6	वृहद मिल की स्थापना(उत्पादन क्षमता 20 टन / दिन)	5	200.0	1000.00	360.00	240.00	400.00	96.00	96.00
					कुल योग			1010.67	1010.67

(रूपये दस करोड दस लाख सरसठ हजार मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.12.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किय जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल अवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(14) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/, डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(18) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री / उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बंधित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,0104-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036/ रा024/ महिला लाभार्थी-40, के0+रा0) 20- सहायता अनुदान – सामान्य (गैरवेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6 - यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर / अशासकीय संख्या-ई-1-3751/दस-2021-2022 दिनांक-19.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव

Date: 21-03-2022 15:40:02

Reason: Approved

उप सचिव।

संख्या- 13 /2022 /125(1) /सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

shasanadesh.up.nic.in